# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 12 / 2020

**उनवान**

भावनाथ पिता श्री गोकुलनाथ (रावल) जाति जोगी निवासी सुजाजी का गढा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) कोदर पिता श्री कालिया जाति भील
(2) श्रीमती हिरा पत्नी श्री कोदर जाति भील
(3) मुन्ना उर्फ मनीषा पुत्री श्री कोदर जाति भील
(4) गोपा पुत्री श्री कोदर जाति भील
(5) रेखा पुत्री श्री कोदर जाति भील
(6) संतोष पुत्री श्री कोदर जाति भील उम्र 21 वर्ष
(7) कमा उर्फ करीशमा पुत्री श्री कोदर जाति भील
(8) कालिया पुत्र हिरा निवासीयान सुजाजी का गढा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांकः 20.8.2024

वादी की ओर से प्रस्तुल वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. 147 (नया) व (149) पुराना के खसरा सं. 1461 रकबा 0.15 हे0, 1462 रकबा 0.02 हे0, 1480 रकबा 0.23 हे0, 1480/4488 रकबा 0. 04 हे0 कुल रकबा 0.44 हे0 वाके ग्राम सुजाजी का गढा पटवार हल्का खोडन तहसील गढी जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है। जिस पर वादी काबीज होकर काश्त कर रहा हैं जिसमें वर्तमान में भी वादी की कब्जा काश्त है एंव राजस्व रेकार्ड वादी के नाम इन्द्राज है । प्रतिवादी का वादी के खेत सर्वे नं. 1461, 1462, 1480, 1480ध्4488 में कोई हक व अधिकार नहीं है एंव वादी का खेत सर्वे नं. 1461, 1462, 1480, 1480ध्4488का उपयोग उपभोग कर रहा है प्रतिवादीगण जानबुझकर वादी के खेत मे अनाधिक प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है एंव पिछले जुलाई 2019 से वादी के खेत सर्वे नम्बरान पर वादी के साथ मारपीट, करना, डराने धमकाने, झुठे मुकदमो मे फसाने, महिलाओ को आगे कर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे रहे है। जबकि उक्त सर्वे नम्बर वादी के कब्जे मे होने के बावजुद भी प्रतिवादीगण वादी के साथ मारपीट कर रहे है। दिनांक 30. 10.2019 को वादी की भूमि में प्रतिवादीगण जोर जरबदस्ती खड्डा खोदने आये जिसकी सूचना वादी ने थाने पर भी दी । प्रतिवादीगण वादी के खेत सर्वे नं. 1461, 1462, 1480, 1480/4488 के शांतिपूर्ण काश्त में बाधा पहुचा रहे है एंव वादी की खेती मे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जिस कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोकना आवश्यक है जिस हेतु उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत है। वाद का व्यवहार कारण वादी की शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में करीब माह जुलाई 2019 व दिनांक 30.10.2019 को बाधा एव रूकावट पैदा करने के कारण अदालत हाजा मे उत्पन्न हुआ है। जबकि मौके पर वादी का कब्जा काश्त है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा संतुलन वादी के हक मे बनना पाया जाता है एंव प्रतिवादीगण के कृत्य से वादी को नुकसान उठाना पड रहा है। अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री जारी फरमावे कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता सं. 147 नया व 149 पुराना के खसरा सं. 1461 रकबा 0.15 है, 1462 रकबा 0.02 है, 1480 रकबा 0.23 है, 1480/4488 रकबा है कुल रकबा 0.44 है. वाके ग्राम सुजाजी का गढा पटवार हल्का खोडन तहसील गढी जिला बांसवाडा राजस्थान स्थित में प्रतिवादीगण न तो अनाधिकृत प्रवेश न ही शांतिपूर्ण काश्त मे बाधा पहुचाये वादी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे, न महिलाओ को लेकर किसी प्रकार करे, न गाली गलोच व मारपीट करे, न जमीन को नुकशान पहुचाये, न झुठे मुकदमे दर्ज कराये, न ही प्रतिवादी अपने किसी प्रतिनिधी से ऐसा करांवे इस हेतु विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराने वाद प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण की तरफ से श्री पवन लुहार, अभिभाषक का वकालातनाम पैश होकर जवाब प्रस्तुंत हुआ। प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

(1) आया वादी की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण के प्रयासों को रोकने हेतु वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

—: वादी

(2) आया प्रतिवादीगण राज्य सरकार द्वारा स्वंय के नाम आवंटित भूमि पर काबिज है, जिसे वादी ने हड़पने के उद्वेश्य से वाद दायर किया है, जो काबिल निरस्ती है।

—: प्रतिवादीगण

(3) अनुतोषः—

वादी की साक्ष्य के रूप में श्री भवनाथ पिता गोकुलनाथ, देवीसिंह पिता दिपसिंह, भरम कुमार पिता लक्ष्मणलाल के शपथ—पत्र पेश होकर श्री भवनाथ के द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथाः जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श—1, नक्षा ट्रेस प्रदर्श—2 प्रदर्शित करवाये जाने के पश्चात् जिरह हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा श्री भरत कुमार से जिरह की जाने पर पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा साख्य पेश नही किये जाने का निवेदन करतें हुऐ प्रतिवादी की साख्य बन्द करवाई जाकर प्रकरण में बहस हेतु निवेदनं किया जाने पर बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात् निम्नानुसार निर्णित की जाती हैः—

**तनकी संख्या 01** को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद के संलग्न जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 147 (नई) 149 (पुरानी) में दर्ज खातेदार के नाम से साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी के खातेदारी की है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या 02** को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब से जाहिर हो रहा हैं कि प्रतिवादीगण अपने स्वंय के नाम आंटित भूमि पर काबिज है। इस हेतु किसी प्रकार का दस्तावेज प्रदर्श नही करवाया गया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवागण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

प्रकरण में बहस पर मनन् एंव वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न जमाबन्दी संवत 2069 से 2072, नक्षा ट्रेस आदि कां अवलोकन करने पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 147 (नई) 149 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1461 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 1462 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1480 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 1480/4488 रकबा 0. 04 हे0 कुल रकबा 0.44 हे0 भूमि का वादी खातेदार है। वादी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता हैं कि पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 147 (नई) 149 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1461 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 1462 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1480 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 1480/4488 रकबा 0. 04 हे0 कुल रकबा 0.44 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, महिलाओं को लेकर विवादं नही करें एंव न ही गाली—गलोच व मारपीट करें न झुठें मुकदमें दर्ज करायें तथा न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

## आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested

पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का [illegible] जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 147 (नई) 149 (पुरानी) के सर्वे नम्बर [illegible] रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 1462 रकबा 0. 02 हे0, सर्वे नम्बर 1480 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 1480/4488 रकबा 0. 04 हे0 कुल रकबा 0.44 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, [illegible]लाओं को लेकर विवाद नही करें एंव न ही गाली—गलोच व मारपीट करें न झुठें मुकदमें दर्ज क[illegible]में तथा न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर डिकी पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2024 को जारी किया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

# डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अन्जु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 12/2020

**उनवान**

भावनाथ पिता श्री गोकुलनाथ (रावल) जाति जोगी निवासी सुजाजी का गढा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) कोदर पिता श्री कालिया जाति भील
(2) श्रीमती हिरा पत्नी श्री कोदर जाति भील
(3) मुन्ना उर्फ मनीषा पुत्री श्री कोदर जाति भील
(4) गोपा पुत्री श्री कोदर जाति भील
(5) रेखा पुत्री श्री कोदर जाति भील
(6) संतोष पुत्री श्री कोदर जाति भील उम्र 21 वर्ष
(7) कमा उर्फ करीशमा पुत्री श्री कोदर जाति भील
(8) कालिया पुत्र हिरा निवासीयान सुजाजी का गढा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

दिनांक: 20.8.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का खोडन के मौजा सुजाजी का गड़ा की जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 की खाता संख्या 147 (नई) 149 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 1461 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 1462 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 1480 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 1480/4488 रकबा 0. 04 हे0 कुल रकबा 0.44 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, महिलाओं को लेकर विवाद नही करें एंव न ही गाली—गलोच व मारपीट करें न झुठें मुकदमें दर्ज करायें तथा न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाकर डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबंत शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अंदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 20.8.2024 को जारी की गई।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी गढ़ी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

| मुदई | रूपया पैसा | मुद्दवायलह | रूपया पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाप की अरजी दावा | शून्य | स्टाम्प वकालतनामा | शून्य |
| स्टाम्प वकालतनामा | शून्य | स्टाम्प अरजी | शून्य |
| स्टाम्प वहज सबुत | शून्य | मेहनतनामा वकील | शून्य |
| मेहनतनामा वकील | शून्य | ख[illegible] | शून्य |
| खर्चा गवाहान | शून्य | प[illegible] कमि[illegible] | शून्य |
| फ़ीस कमिश्नर | शून्य | बबत इ[illegible] हुक्मनामा | शून्य |
| बबत इजराय हुक्मनामा | शून्य | मुतफरीक | शून्य |
| मुतफरीक | शून्य | | |
| कुल | शून्य | कुल | शून्य |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

20.8.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, अभिलेख का संक्षिप्त अवलोकन किया गया। प्रकरण तथा वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में निर्णय पृथक से जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:24:45 IST
Reason: SelfAttested